

वाद सं. / प्र.स.

पक्षकार

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

दिनांक

12/11/15 प्र. उपनिर्देश / अतिरिक्त मुख्य अधिकारी
खिप्पी गाँव की जाँच पर स्वीकार
किया जाता है। आदेश के प्र. 6 एम्पली
के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया। दोष
सिक्की जवाह प्रमाणित किया गया।
निलम्ब लेना परावर्ती जाने साक्ष्य पर
प्रमाणित किया गया। को प्रमाणित

01/11/15 प्र. उपनिर्देश / अतिरिक्त मुख्य अधिकारी
खिप्पी गाँव की जाँच पर स्वीकार
किया जाता है। जवाह उपनिर्देश / जवाह
सं. 1, 6, 12 प्रमाणित किया गया।
निलम्ब लेना परावर्ती जाने साक्ष्य पर
प्रमाणित किया गया। को प्रमाणित

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी
नावली, जिला-बदरपुर (राज्य)